LIST OF B.ED. HOD/LECTURER

SR-NO	NAME	FATHERS NAME	D-O-B	HOD/LECTURER.	EXTENSION	PAY SCALE	PIC
1	DR SATISH KUMAR	SRI SHIV PRASAD SINGH	01-02-1970	HOD	29/01/2020 TO 5 YEARS	15000	
2	CHANDRAJEET KUSHWAHA	SRI SRI RAM KUSHWAHA	31-07-1984	LECTURER	25/01/2020 TO 5 YEARS	10000	
3	SRI DEEPAK KUMAR SINGH	SRI RAM KRIPAL SINGH	15-07-1984	LECTURER	25/01/2020 TO 5 YEARS	10000	
4	DR OM PRAKASH SINGH	Late babu lal	05-05-1977	LECTURER	25/01/2020 TO 5 YEARS	10000	
5	SRI RAVI SHANKAR SINGH	SRI VISHWANATH SINGH	25-11-1977	LECTURER	25/01/2020 TO 5 YEARS	10000	
6	SRI ASHISH KUMAR SINGH	SRI RAGHUNATH SSINGH	07-07-1981	LECTURER	30/07/2020 TO 5 YEARS	10000	
7	SRI VINAY KUMMAR SINGH	SRI BHARAT SINGH	12-05-1986	LECTURER	09/02/2018 TO 5 YEARS	10000	
8	SRI RISHIKESH KUMAR	SRI DINESH PRATAP SINGH	27-01-1987	LECTURER	25/05/2019 TO 5 YEARS	10000	

-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/07– (एक)/2018/ 2069
दिनांक : 25-4-18

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती इन्दिरा गांधी पी0जी0 कालेज,
डुमरी मर्यादपुर, मऊ।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 1103 (1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्रीमती इन्दिरा गांधी पी0जी0 कालेज, डुमरी मर्यादपुर, मऊ** को **स्नातक स्तर** पर **शिक्षा संकाय** के अन्तर्गत **बी0एड0** पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) में **50 सीटों (01 यूनिट)** की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक– **01.07.2017 से** सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन/एन0सी0टी0ई0 जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि आदि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. A.I.S.H.E. के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समस्त अग्रिम वर्षो के अन्तर्गत।
10. सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का भुगतान अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
11. N.C.T.E के मूल पत्र के सत्यापन के अन्तर्गत।
12. महाविद्यालय समय–समय पर शासन/एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेगा।
13. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

24/04/18

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चौथी मंजिल, जीवन निधि, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर– 302005 (राजस्थान)
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. उपकुलसचिव (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/07– (तीन)/2020/ 1108
दिनांक : 30-07-20

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती इन्दिरा गांधी महाविद्यालय,
डुमरी, मर्यादपुर,
मऊ।

विषयः–स्ववित्तपोषित योजना के अधीन महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के संविदा–विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक– 14.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक–11 जनवरी, 2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र संख्या– पू.वि.वि./सम्बद्धता/02–37(तीन)/2015/9950, दिनांक 27.01.2015 एवं पू.वि.वि./सम्बद्धता/02–37(तीन)/2015/मेमों, दिनांक 23.01.2015 द्वारा अनुमोदित तथा प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराये गये अद्यतन अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में अनुमोदित/कार्यरत **विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं** का संविदा–विस्तरण उनके नाम के सम्मुख तिथि से 5 वर्षो के लिए किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है। प्राचार्य एवं अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। **उक्त अनुमोदन/संविदा विस्तरण नेट/पी–एच.डी प्रमाण पत्र सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अन्तर्गत किया जाता है।**

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म–तिथि	विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता	संविदा–विस्तरण तिथि
1	डॉ0 सतीश कुमार सिंह आधार संख्या–680080403962	श्री शिव प्रसाद सिंह	01.02.1970	विभागाध्यक्ष	29.01.2020 से 05 वर्ष
2	श्री दीपक कुमार सिंह आधार संख्या–845021459601	श्री रामकृपाल सिंह	15.07.1984	बी0एड0	25.01.2020 से 05 वर्ष
3	डॉ0 ओमप्रकाश सिंह आधार संख्या–362701475821	स्व0 बाबू लाल	05.05.1977	बी0एड0	25.01.2020 से 05 वर्ष
4	श्री आशीष कुमार सिंह आधार संख्या–693150142401	श्री रघुनाथ सिंह	07.07.1981	बी0एड0	25.01.2020 से 05 वर्ष
5	श्री चन्द्रजीत कुशवाहा आधार संख्या–840195518586	श्री श्रीराम कुशवाहा	31.07.1984	बी0एड0	25.01.2020 से 05 वर्ष
6	श्री रविशंकर सिंह आधार संख्या–256978963597	श्री विश्वनाथ सिंह	25.11.1977	बी0एड0	25.01.2020 से 05 वर्ष

भवदीय,

30/07/20
कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 07–(तीन) / 2019 / 5813
दिनांक : 25-5-19

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती इन्दिरा गांधी महाविद्यालय,
डुमरी, मर्यादपुर, मऊ।

विषयः— स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–27.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक–09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010** तथा **25 नवम्बर 2013** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **05 वर्ष की संविदा** के आधार पर **प्रवक्ता** पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि **अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत / अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	श्री ऋषिकेश कुमार आधार संख्या–621560348913	श्री दिनेश प्रसाद सिंह	27.01.1987	एम0एड0, नेट	बी0एड0 (कला वर्ग)

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा **प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।**

भवदीय,
25/05/19
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/02–(तीन)/2017/ 3938
दिनांक : 9-2-18

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती इन्दिरा गांधी पी0जी0 कालेज
मर्यादपुर, मऊ।

विषय:– स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक** स्तर पर शिक्षा **संकाय** के अन्तर्गत **बी0एड0** पाठ्यकम में **प्रवक्ता** पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–18.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 25.11.2017 के कम में **शासनादेश दिनांक–09 मई** 2000, **31 दिसम्बर** 2010 तथा **25 नवम्बर 2013** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **3 अथवा 5 वर्ष की संविदा** के आधार पर **प्राचार्य** पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि **अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय
1	श्री विनय कुमार सिंह	श्री भरत सिंह	12.05.1986	एम0एड0, नेट	बी0एड0(प्रवक्ता)

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र मे उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। **उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण–पत्र/पी0एच0डी0 प्रमाण–पत्र सत्यापन के अधीन, कक्षा संचालन के अन्तर्गत किया जाता है।**

भवदीय,

कुलसचिव 8/02/18